न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 47/2022

वादीगण :—

1. भवानीसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह, आयु 70 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम हरियांढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. प्रणवीरसिंह देवड़ा पुत्र श्री नारायणसिंह, आयु 50 वर्ष, जाति राजपूत निवासी भवानी भवन, पावटा बी 2 रोड़ जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री द्वारकादास रामावत एडवोकेट।
प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः— 7/10/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.4643 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 2.2652 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल, खसरा नम्बर 897 रकबा 2.1681 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल स्थित है, जो ग्राम हरियाढाणा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 660 पर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 878 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल, खसरा नम्बर 899 रकबा 3.5920 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल स्थित है, जो ग्राम हरियाढाणा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 720 पर वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.4643 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 2.1681 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 2.9448 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 3.5920 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके आस—पडौस में अथवा इस भूमि में प्रतिवादी के कथनानुसार कथित रूप से खसरा नम्बर 896 गैर मुमकीन रास्ता स्थित नही है। वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि में वक्त बंदोबस्त से काबिज है तथा मौके पर वादीगण के खातेदारी भूमि की मेड़े वक्त बंदोबस्त से पुरातन समय से कायम है। जिस पर पुराने पेड़ खड़े है तथा वादीगण का

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उनकी खातेदारी भूमि में आवासीय मकान भी वक्त बंदोबस्त से मौके पर कायम है, जिसमें वादीगण के निवास है तथा पशुओं का बाड़ा, टांका एवं चारदीवारी आदि मौजूद है, जो वक्त बंदोबस्त से मौके पर बदस्तूर कायम है। वादग्रस्त भूमि के कथित रूप से आस पड़ौस में अथवा वादग्रस्त भूमि में ग्राम हरियाढाणा के राजस्व रेकर्ड में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 896 गै.मु. रास्ता मौके पंर वक्त बंदोबस्त से मौजूद नही है न रास्ते के कोई अलामात ही उपलब्ध है महज राजस्व रेकर्ड में सांकेतिक रूप में दर्ज है, जबकि मौके पर रास्ते का अस्तित्व/अवशेष/अलामात तक नही है। इसके बावजूद प्रतिवादी नाहक ही गैर कानूनी ढंग से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर तथा वादीगण के उसकी खातेदारी की भूमि पर सुस्थापित कब्जे को अनदेखा कर मौके पर वादीगण की भूमि में जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है तथा उसे जबरन अतिक्रमी साबित कर इसकी आड़ में उसे दण्डित किया जाकर वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल किये जाने की फिराक में है। ग्राम हरियाढाणा के सम्बंध में वक्त बंदोबस्त सम्वत् 2011 में जो सर्वे एवं अभिलेख का कार्य भू प्रबन्धक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, उसके दौरान उक्त विवादित रास्ता खसरा नम्बर 896 के सम्बंध में मौके पर युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग कर सम्यक् सावधानी व सतर्कता बरतते हुए सर्वे कार्य नही किया गया तथा आधा अधूरा व अपूर्ण कार्य छोड़ दिया। जिसके चलते कथित सांकेतिक मार्ग/रास्ता न तो मौके पर आज दिनांक तक कायम हो पाया न इस स्थान पर पड़ौसी गांवों की सरहद पर स्थित नेखंम बिन्दुओं से इसकी पेमाईश करने पर मौके पर उक्त रास्ता यथास्थान उपलब्ध होना प्रमाणित है। राजस्व रेकर्ड में कथित गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 896 अकारण दोषपूर्ण रिती से दर्ज है। जिसकी आड़ में प्रतिवादी ने वादीगण के पडौसी भागूराम के विरूद्ध अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज कर लिया एवं उसके विचारण के दौरान वादीगण के पड़ौसी भागूराम के द्वारा आंक्षेप करने पर प्रतिवादी के मातहत/अधिनस्थ तकनीकी कर्मचारियों द्वारा मौके पर रास्ते बाबत् जॉच एवं वादी के अतिक्रमण बाबत् जॉच रिपोर्ट तलब करवाई गयी। जिसमें समय-समय पर इस बाबत् प्रतिवादी ने विभिन्न कर्मचारियों की टीमें घठित कर उन्हे चिन्हिकरण एवं सीमांकन हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में कर्मचारियों ने अपनी जॉच दिनांक 03.11.2020, 08.11.2020 में पाया कि पक्षकारान मौके पर सीमांकन कार्यवाही से संतुष्ट नही है तथा उनके द्वारा पड़ौसी गांवो की सरहद से नेखम बिन्दुओं से पेमाईश की मांग करने पर नये घठित दल द्वारा सरहदी नेखम बिन्दुओं एवं मौके पर मौजूद अन्य कोने व कटाणों से सीमांकन कार्य शुरू किया गया। परन्तु मौके एवं नक्शा सीट में मुस्तकिल बिन्दु/कोने/कटाण का मिलान नही हुआ तथा सरहदी मुटाम से सीधे खसरा नम्बर 896 गैर मुमकीन रास्ता तक जरीब लाने में रहवासीय मकान, पेड़ पोधो का अवरोध है। जिससे उन्होने भू प्रबन्ध विभाग के तकनीकी सहयोग से पेमाईश करने की सिफारिश कर दी। इससे पूर्व जॉच दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.11.2020 को पाया कि नक्शे अनुसार मौके पर मुस्तकील बिन्दु कायम करने हेतु अलग-अलग जगहों से जरीबे चलाई गई लेकिन नक्शे में दर्ज कौने/कटाण/नेखम बिन्दुओं एवं मौके पर स्थित वर्तमान मेड़ों कोने/कटाणों का मिलान नही हुआ। खसरा नम्बर 896 से उतर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की ओर करीब 2 कि.मी. दूरी पर स्थित हरियाढाणा–बोरून्दा की उभय निष्ठ सीमा पर स्थित नेखम बिन्दुओं से जरीब लाने पर मौके पर 10–15 गटों का अन्तर पाया गया। जिससे यह बखूबी साबित है कि वादग्रस्त भूमि से खसरा नम्बर 896 गै.मु. रास्ता 10–15 गटटा दूर है। साथ ही विवादित स्थल खसरा नम्बर 896 गै.मु. रास्ता के उतर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर के अन्य खेतों के कोने/कटाण/मेड़ मिलान नक्शे एवं मौके पर एक जगह नही मिलते है एवं सड़क के सहारे–सहारे खेतों में पक्के मकान व बाड़े बने हुए है। जिसके चलते भू प्रबन्ध विभाग के तकनीकी सहयोग के बिना सही सीमांकन किया जाना संभव नही है। जिस पर प्रतिवादी ने विवादित रास्ते के सदर्भ में वादी के विरूद्ध आयद मुकदमें में भू प्रबन्ध अधिकारियों को विवादित रास्ते के सीमांकन हेतु अपेक्षित आदेश से आदेशित किया एवं इस बाबत् सम्बंधित अधिकारियों का आदेश प्राप्त किया गया। जिसमें नियमानुसार नाप करवाये जाने हेतु राज्य कोष में रूपये 5,000/– अक्षरे पॉच हजार रूपये जमा करवा लिये गये एवं इसके पश्चात् प्रतिवादी एवं उसके मातहत कर्मचारियों ने भू प्रबन्ध अधिकारियों के तकनीकी सहयोग से मौके पर वादग्रस्त रास्ते के सम्बंध में सीमांकन कार्य प्रारम्भ किया गया। इस दौरान वादीगण एवं अन्य ग्रामवालों पुरजोर विरोध के बावजूद सम्बंधित टीम ने विवादित रास्ते का नाप आस पड़ौस के गावों की सरहद पर स्थित निर्विवाद नेखम बिन्दुओं से 'नही किया और अकारण ही नाप हेतु अनुपयुक्त कट्टे फट्टे व टेप लगे नक्शे के आधार पर कथित काल्पनिक रास्ते को मौके पर गलत ढंग से वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में दर्शा दिया एवं इसकी आड़ में वादीगण को नाहक दोषी करार दिया जाकर उसके विरूद्ध इसकी आड़ में जबरन बेदखली की कार्यवाही की जाकर वादीगण को जबरन उसकी खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल क़रने पर आमादा है। प्रतिवादी एवं उसके स्वयं के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा बारमबार मौके पर कथित विवादित रास्ते के सम्बंध में अनेकानेक बार सीमांकन कार्य किया गया तथा हर बार विरोधाभाषी मौका रिपोर्टे तैयार की जाकर प्रतिवादी के कार्यालय में पेश की जा चुकी है। जिसकी प्रतियॉ वाद पत्र के साथ पेश है। मौके की स्थिति एवं इस बाबत् उपलब्ध रिकार्ड एवं जॉच रिपोर्टो से यह बखूबी साबित है कि कथित वादग्रस्त रास्ता के अस्तित्व को राजस्व रेकर्ड/नक्शे में वक्त बंदोबस्त सही अंकन/दर्ज नही किया है। जिसके चलते वादीगण को इसकी आड़ में उन्हे नाजायज ढंग से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए एवं वादीगण की खातेदारी की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना ही वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि जबरन रास्ता दर्शाकर उनको उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखल किये जाने पर प्रतिवादी आमादा है तथा इस सम्बंध में बिना किसी निश्चायक दस्तावेजी साक्ष्य के उनके विरूद्ध अकारण ही बेदखली की कार्यवाही की जा रही है एवं बिना किसी निश्चायक साक्ष्य के राजस्व रेकर्ड नक्शे में हेरा फेरी करने पर उतारू है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने की दशा में पुरे गांव की खातेदारी भूमि के सम्बंध में मौकें एवं नक्शे में विरोधाभाष उभरेगा एवं अकारण अराजकता एवं खुन खराबा होगा तथा वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि से अकारण ही वंचित हो जायेंगे। प्रतिवादी को बिना किसी निश्चायक साक्ष्य/अभिलेख के वादी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित कर उन्हे खातेदारी की भूमि से

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बेदखल किया जा रहा है। इस क्रम में प्रतिवादी वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में उन्हे बिना किसी सुनवाई का मौका दिये रास्ता चिंहित कर मुटाम लगाकर उनका मकान ध्वस्त करने की फिराक में है। प्रतिवादी को ऐसा करने का कतई अधिकार नही है। जबकि उनके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा बार–बार नाप करने के उपरान्त राजस्व नक्शे में उक्तानुसार त्रुटि राजस्व अभिलेख आमुख पर ही प्रकट है एवं मौके की स्थिति से उलट है। जिससे सम्यक् सतर्कता से सक्षम अधिकारियों के तकनीकी सहयोग से पड़ौसी गावों के सरहदों पर स्थित निर्विवाद नेखम बिन्दुओ से नाप किया जाकर इसी अनुसार नक्शे में वांछित संशोधन कर कथित रास्ता यथास्थान दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसके अभाव में इसकी आड़ में मौके पर विवाद का निपटान निश्चायक रूप से अन्तिम रूप से नही हो सकता। जिसके चलते वादीगण व आम लोगों के साथ बेजा विवाद व अन्याय होने का अंदेशा है एवं उक्त राजस्व नक्शे में वाछित संशोधन किया जाना निहायत जरूरी है। इस बाबत् वादीगण द्वारा पुरजोर विरोध करने के उपरान्त प्रतिवादी उलटा इसके वादीगण को उसकी खातेदारी से बेदखल करने पर आमादा है एवं राजस्व रेकर्ड/नक्शे में वांछित संशोधन करने से मना कर दिया। जिस पर वादीगण के पड़ौसी भागूराम की ओर से नक्शे में संशोधन हेतु माननीय न्यायालय में अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया, इसके उपरान्त प्रतिवादी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहा है एवं वादीगण को जबरन गैर कानूनी ढंग से बेदखल करने एवं उनके आवासीय मकानात ध्वस्त कर उनकी खातेदारी की भूमि में जबरन नया रास्ता कायम करने हेतु आमादा है। इस हेतु उन्होने वादीगण के बेजा विरोध के उपरान्त दिनांक 30.04.2022 को मौके पर वादग्रस्त भूमि में रास्ता चिन्हिकृत कर दिया। जिस पर वादीगण को मजबूरन प्रतिवादी के विरूद्ध मौजूदा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना पड़ रहा है। वादकारण वादी विरूद्ध प्रतिवादी रास्ते की आड़ में वादीगण को उनके खातेदारी की वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने की नियत से उनके विरूद्ध रास्ते पर अतिक्रमण बाबत् झुठा मुकदमा दिनांक 10.07.2020 को दायर करने एवं तत्पश्चात् इसे सही ठहराने की गरज से बिना किसी ठोस आधार के एवं बिना किसी निश्चायक साक्ष्य सबूत के एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को वादग्रस्त जमीन से बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त जमीन में नया रास्ता चिन्हिकरण करने पर दिनांक 30.04.2022 को ग्राम हरियाढाणा में उत्पन्न हुआ, जो सतत् जारी है। वाद सभी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है एवं अन्दर म्याद व उचित न्यायालय शूल्क मुद्राक पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर प्रार्थना वादी है कि मौजा हरियाढाणा स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.4643 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 2.1681 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 2.9448 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 3.5920 हैक्टेयर भूमि के किसी भी हिस्से पर रास्ता कायम नही करने तथा वादीगण के कब्जे में किसी भी रिती से दखल नही करने एवं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादग्रस्त भूमि से वादीगण को किसी भी रिती से बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। खर्चा हर्जा वाद वादीगण प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.4643 हेक्टयर, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 2.2652 हेक्टयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 2.1681 हैक्टयर जो वादी सं. 1 के नाम है तथा खसरा नम्बर 878 रकबा 2.9448 हैक्टयर व खसरा नम्बर 899 रकबा 3.5920 हैक्टयर वादी सं. 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण के उन खसरा नम्बरान के आसपास खसरा नम्बर 896 रकबा 6.4045 किस्म गै.मु.रास्ता के भूमि आई हुई है। जो ग्राम पंचायत हरियाढाणा के नाम दर्ज है। उक्त सरकारी रास्ते को वादीगण द्वारा गैर कानूनी ढंग से अपनी खातेदारी में समाहित कर लिया है जिसका कि धारा 91 के तहत प्रकरण बनाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत किये गये है। जिसमें कार्यवाही जैरकार है। पद सं. 4 से 6 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 7 से 9 का जवाब कानूनी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की ईस्तदुआ है कि वादीगण द्वारा खुर्दबुर्द किये गये सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 896 का चिन्हीकरण मौके पर न किया जावे। तथा रास्ते की सीमायें कायम न की जावें। जिसमें भूमिधारी की सहमति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम हरियाढाणा की भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 1.4663 हेक्टयर, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 2.2652 हैक्टयर व खसरा नम्बर 897 रकबा 2.1681 हेक्टयर में वादी सं. 1 पूर्ण खातेदार है तथा खसरा नम्बर 878 रकबा 2.9448 हैक्टयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 3.5920 हैक्टयर भूमि वादी सं. 2 खातेदार है। वादीगण उपरोक्त खसरान की भूमि के किसी भी हिस्से पर पर रास्ता कायम नहीं करने व दखल नहीं देने हेतु प्रतिवादी को पाबन्द करवाना चाहते है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। परन्तु सरकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि खसरा नम्बर 896 रकबा 6.4045 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि है जो ग्राम पंचायत हरियाढाणा के नाम दर्ज है तथा उक्त सरकारी रास्ते में वादीगण द्वारा गैर कानूनी ढंग से अपनी खातेदारी मे समाहित कर लिया है। जिसका की धारा 91 के तहत प्रकरण बनाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत किये गये जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे यह प्रतित होता है कि प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा वादी सं. 1 व वादी सं. 2 की खातेदारी जमीन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे है इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण को अब वाद पत्र के पद संख्या 9 में प्रतिवादी के विरूद्ध चाही गयी इस्तदुआ की कोई आवश्यकता नही रही। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः वादीगण भवानीसिह वगैराह का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भवानीसिंह वगैरा		सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 47/2022

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी.डी.रामावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण भवानीसिह वगैराह का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान्		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा